विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/2024
एवं
प्रकरण क्रमांक L00-08/2024

1. **श्री निकेत मंगल,**
शॉप क्रमांक 1–2 (यस बैंक)
एन.एम.वर्ज बिल्डिंग,
8/5, वाय, एन, रोड़, इन्दौर (म.प्र.)

2. **श्री निकेत मंगल,**
शॉप क्रमांक 3–4 (क्रोमा)
एन.एम.वर्ज बिल्डिंग,
8/5, वाय, एन, रोड़, इन्दौर (म.प्र.)

– **आवेदक**

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (उत्तर शहर) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मालवा मिल झौन–इन्दौर, उत्तर शहर संभाग,
इन्दौर शहर –वृत्त,इन्दौर (म0प्र0) – 452001

– **अनावेदक**

आदेश

(दिनाँक 25.04.2024 को पारित)

आवेदक के प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र अग्रवाल उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से श्री निखिल कुमार सहायक यंत्री, (उत्तर शहर संभाग) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपस्थित हुए।

01. आवेदक – श्री निकेत मंगल, द्वारा एन.एम.वर्ज बिल्डिंग 8/5 वाय.एन.रोड़ इन्दौर स्थित बहु उपभोक्ता संकुल (multiuser complex) में दुकान क्रमांक 1–2 एवं 3–4 में गैर घरेलू विद्युत संयोजनों के विद्युत भार वृद्धि में प्रभारित "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार" (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) से संबंधित दो शिकायते विद्युत शिकायत निवारण फोरम इन्दौर (फोरम) के समक्ष की गई। दोनों अभ्यावेदनों पर फोरम द्वारा उनकी शिकायतों पर अलग–अलग प्रकरण W0559123 एवं W0558223

दर्ज कर दिनाँक 11.12.2023 को आदेश पारित किये गये जिनसे असंतुष्ट होने के कारण आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) के अंतर्गत दो अलग–अलग अभ्यावदेन विद्युत लोकपाल के समक्ष दिनाँक 29.01.2024 को एक साथ प्रस्तुत किये गये।

02. प्रकरणों को क्रमांक एल.00–07/2024 एवं एल.00–08/2024 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 28.02.2024 को नियत की गई ।

- ❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 28.02.2024 के पूर्व आवेदक द्वारा यह सूचित करते हुए कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह सुनवाई दिनांक 28.02.2024 को उपस्थित नहीं हो पायेंगे, सुनवाई हेतु अगली तारीख नियत किये जाने हेतु निवेदन किया । उनके द्वारा अनावेदक को भी सूचित किया गया। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक **07.03.2024** को नियत की गई, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक **20.03.2024** को नियत की गई तथा उभयपक्षों को सूचित किया गया ।
- ❖ सुनवाई दिनांक 20.03.2024 को आवेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र अग्रवाल तथा अनावेदक की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि श्री निखिल कुमार, सहायक यंत्री, इन्दौर उपस्थित हुए । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि श्री निखिल कुमार, सहायक यंत्री, इन्दौर द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया तथा उसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को भी उपलब्ध कराई गई ।

  उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है । आवेदक/अनावेदक (उभयपक्ष) को कहा गया है कि कोई अतिरिक्त प्रतिवेदन यदि प्रस्तुत करना चाहे तो अपना अतिरिक्त प्रतिवेदन सात दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देश के साथ प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

03. दोनों अभ्यावेदनों के अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् निम्न कारणों से दोनों प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किया जाना उचित माना गया :–

(i) दोनों प्रकरणों में शिकायत का विषय "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार" ही है।

(ii) दोनों प्रकरणों में आवेदक और बहु–उपभोक्ता सकुल (multiuser complex) परिसर एक ही है।

(iii) दोनों प्रकरणों में एक ही बहु–उपभोक्ता संकुल होने से आवेदक की शॉप क्रमांक 1–2 एवं 3–4 पर "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु तथा अन्य प्रभारों की वसूली)(पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 एवं मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान समान रूप से लागू होगें।

(iv) अनावेदक एवं आवेदक द्वारा भी सुनवाई के दौरान प्रकरणों को मिलाकर ही अपने–अपने पक्ष रखे गये एवं दोनों प्रकरणों को सम्मिलित कर उभयपक्षों द्वारा एक ही (common) प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया।

04. प्रकरण क्रमांक L00-07/2024 में आवेदक के गैर–घरेलू बहु–उपभोक्ता संकुल में स्थित शॉप क्रमांक 1–2 (यस बैंक) के 10 कि.वा नवीन गैर–घरेलू कनेक्शन एवं इस पर 20 कि.वा की भार वृद्धि पर नियम विरूद्ध अत्यधिक सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस प्रभारित करने से संबंधित विवाद है। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण क्रमांक L00-08/2024 में आवेदक के उपरोक्त परिसर में ही स्थित शॉप क्रमांक 3–4 (क्रोमा) के 10 कि.वा नवीन गैर–घरेलू विद्युत संयोजन एवं इस पर 25 कि.वा की भार वृद्धि पर भी नियम विरूद्ध अत्यधिक सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस प्रभारित किये जाने से संबंधित विवाद है।

05. (अ) अनावेदक द्वारा उनके प्रतिउत्तर दिनाँक 19.03.2024 में दोनों प्रकरणों पर निम्न कथन किये:–

*1. उत्तर शहर संभाग, मध्य प्रदेश प.क्षे विद्युत वितकरण कंपनी,इन्दौर के क्षेत्रांतर्गत मालवा मिल झोन क्षेत्र में श्री निकेत मंगल द्वारा 8/5, व्हाय.एन.रोड़, इन्दौर पर एक "**बहु मंजिला भवन**" का निर्माण किया गया था तथा इस भवन के बाह्य विद्युतीकरण हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार भवन का कुल भार 71 किलोवॉट होने पर मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के कंडिका 4.31, 4.30, एवं 4.32 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा एक नग 100 केव्हीए वितरण उपकेन्द्र की स्थापना सुपरविजन योजना में इस कार्यालय के कार्यादेश क्रमांक – 1280 दिनांक – 12.10.2021 के अनुसार में की गई थी, जिसको दिनांक 17.12.2021 को चार्ज किया गया था।*

2. यह कि, उक्त भवन के शॉप नं 1,2,3 एवं 4 हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अनुसार निर्मित भवन के आधार पर भार की गणना अनुसार उक्त प्रत्येक शॉप के लिए 2–2 किलोवॉट आंकलित भार निर्धारित कर स्वीकृत किया गया था। इस स्वीकृती भार के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा शॉप नं – 1–2 के लिए कुल 4 किलोवॉट के स्थान पर 10 किलोवॉट का 1 गैर घरेलु विद्युत संयोजन लिया गया था। इसी प्रकार शॉप नं – 3 और 4 के लिए भी कुल 4 किलोवॉट के स्थान पर संयुक्त रूप से 1 नग 10 किलोवॉट का गैर घरेलु कंनेक्शन लिया गया था। जिसका विवरण नियमानुसार है:–

क्रं.	*शॉप नं*	*नियमानुसार न्यूनतम स्वीकृत भार (कि.वॉ. में)*	*उपभोक्ता द्वारा लिया गया वास्तविक भार (कि.वॉ. में)*
1	*1*	*2 कि.वॉ.*	*10 कि.वॉ.*
2	*2*	*2 कि.वॉ.*	
3	*3*	*2 कि.वॉ.*	*10 कि.वॉ.*
4	*4*	*2 कि.वॉ.*	

अतः शॉप नं – 3 एवं 4 एवं शॉप नं – 1 और 2 हेतु पूर्व स्वीकृत भार 4 किलोवॉट के स्थान पर 10 किलोवॉट की मांग का सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज रूपये 12,080/– मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनिमय नोटिफिकेशन दिनांक – 31.05.2022 की कंडिका 4.2.6 के अनुसार लिए गए है जो कि इस प्रकार है:–

कंडिका 4.2.6 में दर्शाया है कि वितरण अनुज्ञप्तिाधारी वैयक्तिक गैर घरेलु, औद्योगिक उपभोक्ता, विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हे अन्यत्र सम्मिलित नही किया गया है, से विनियम 4.2.3 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसतुल हेतु प्रधिकृत होगा।

सरल क्रमांक	***मांग किया गया संयोजित भार***	***उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर***
एक	*3 किलोवॉट (एकल फेज) तक*	*रू 500 प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश*
दो	*3 किलोवॉट (तीन फेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट से अनाधिक*	*रू 1510 + रू 1510 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई कोईं अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवॉट से अधिक हो।*
तीन	*10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक*	*रू 12110 + रू 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई कोईं अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवॉट से अधिक हो।*
चार	*25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 50 किलोवॉट से अनाधिक*	*रू 69000 + एवं रू 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई कोईं अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवॉट से अधिक हो।*
पांच	*50 किलोवॉट से अधिक*	*रू 226500 + रू 630 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई कोईं अंश जिसके अनुसार भार 50 किलोवॉट से अधिक हो। (अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।)*

क्योकि उक्त 4 किलोवॉट से अधिक आवेदित भार बहु उपभोक्ता परिसर की भार गणना के समय सम्मिलित नही किया गया था, अतः धारा 4.2.6 के अनुसार उपभोक्ता से नवीन अतिरिक्त भार हेतु सप्लाई अफोर्डिग चार्ज उपरोक्तानुसार लिया गया है।

3. यह कि आवेदित शॉप 3 एवं 4 के लिए उपभोक्ता द्वारा 10 से 25 किलोवॉट तथा इसी प्रकार शॉप नं 1 व 2 के लिए 10 से 20 किलोवॉट भार वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था।

4. यह कि उपभोक्ता द्वारा भवन के बाह्य विद्युतीकरण के लिए बनाए गए प्राक्कलन निर्धारण के समय बताये गए अनुमानित भार अथवा विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार की गए गणना के लिए भार की तुलना मैं जो अधिक है उस भार की मांग की गई थी। यदि उपभोक्ता को अधिक भार की आवश्यकता थी तो पूर्व में ही वास्तविक मांग का उल्लेख किया जाना था ताकि वास्तविक मांग के अनुसार 71 किलोवॉट से अधिक भार हेतु 200 केव्हीए उपकेन्द्र की स्थापना पूर्व में ही की जाती, जिससे उपभोक्ता को धारा 4.2.9के अनुसार ही भुगतान करना पडता, परंतु आवेदक द्वारा वास्तविक मांग को छुपाकर केवल न्यूनतम भार ही स्वीकृत कराया गया था जिसके आधार पर आवेदक से मांग के अनुसार 100 केव्हीए का उपकेन्द्र ही स्थापित किया गया था।

5. यह कि, परिवादी का कंनेक्शन श्री निकेत मंगल क्रोमा में स्थित इलेक्ट्रिफिकेशन एक वर्ष पूर्व हुआ है। जिसके लिए 100 केव्हीए का उपकेन्द्र स्वीकृत किया गया था जिस पर वर्तमान में 71 केव्हीए लोड स्वीकृत है। परिवादी द्वारा 10 किलोवॉट का भार 20 किलोवॉट करने हेतु दूसरे कंनेक्शन का भार 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट करने की मांग के कारण 25 किलोवॉट अतिरिक्त लोड आवेगा । वर्तमान में स्थापित 100 केव्हीए क्षमता के उपकेन्द्र पर 71 केव्हीए भार स्वीकृत है इसमें कुल भार वृद्धि करने पर वितरण उपकेन्द्र पर कुल भार 71++6+6+25=108 किलोवॉट हो जावेगा। इस हेतु उपकेद्र की क्षमता वृद्धि की जाना आवश्यक थी। बहु उपभोक्ता परिसर के नियमों के अनुसार क्षमता वृद्धि हेतु 100 से 200 केव्हीए उपकेन्द्र एवं स्वयं के व्यय पर उपकेन्द्र क्षमता वृद्धि करवाने हेतु सहमति प्रदान करने पर 5 प्रतिशन सुपरविजन चार्जेस का प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु भेजा जा सकता था। उपभोक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार धारा 4.2.7, 4.2.8 तथा 4.2.4 (ii) के अनुसार स्वंय के व्यय पर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कर 200 केव्हीए करने हेतु सहमति न देकर स्वंय को वैयक्तिक गैर–घरेलु उपभोक्ता की श्रेणी में होना बताकर धारा 4.2.4 (i) के अनुसार प्रस्तावित उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य कंपनी को करने हेतु कहा गया था तथा इस हेतु उपभोक्ता द्वारा माननीय उपभोक्ता फोरम, इन्दौर में परिवाद क्रमांक – W0543823 दायर किया गया था, यह कि माननीय उपभोक्ता फोरम के आदेश अनुसार विधिक प्रावधान में उल्लेखित कंडिका 4.2.3, 4.2.4 (i) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकेन्द्र का कार्य किया जाकर, उपभोक्ता से अन्य चार्जेस नियमानुसार जमा कराया जावे।

*यह कि, उक्त आदेश के परिपालन में कंपनी द्वारा **"सामान्य विकास योजना"** के अन्तर्गत कंपनी के खर्च पर वर्तमान स्थापित 100 केव्हीए की क्षमता वृद्धि कर 200 केव्हीए करने का कार्य इस कार्यालय के कार्यदेश क्रमांक – 1008 दिनांक – 01.11.2023 के माध्यम से किया गया है, तथा उपभोक्ता से उल्लेखित कंडिका 4.2.3, 4.2.4 (i) के लिए निर्धारित कंडिका क्रमांक 4.2.6 के अनुसार सप्लाई अफोर्डिग चार्ज भुगतान करने हेतु डिमांड नोट जारी किया गया, जिसका विवरण नियमानुसार है :–*

क्र	*शॉप क्रमांक*	*अतिरिक्त भार का विवरण*	*निर्धारित सप्लाई अफोर्डिग चार्ज की राशि*	*निर्धारित रजिस्ट्रेशन चार्ज की राशि*
1.	*शॉप नं – 1 एवं 2*	*10 से 20 किलोवॉट*	*37,900/–*	*2,500/–*
2.	*शॉप नं – 3 एवं 4*	*10 से 25 किलोवॉट*	*56,850/–*	*2,500/–*

6. यह कि, विधिक प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को 2 संयोजनो हेतु कुल अतिरिक्त भार के लिए कंपनी द्वारा बहु उपभोक्ता परिसर के लिए निर्धारित धारा 4.2.7, 4.2.8 तथा 4.2.4 (ii) के अनुसार स्वंय के व्यय पर सुपरविजन योजना में वर्तमान में स्थापित 100 केव्हीए उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कर 200 केव्हीए उपकेन्द्र कर देते तो उन्हे धारा 4.2.9 के अनुसार सप्लाई अफोर्डिग चार्ज देना होता।

उपभोक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार विधिक प्रावधान से असंतु ट होकर माननीय उपभोक्ता फोरम में दोनो संयोजनो के लिए 2 अलग–अलग प्रकरण क्रमांक – WO559123 एवं WO558223 दर्ज किए गए है, जिसमें उपभोक्ता मांग क गई है कि शॉप क्रमांक – 1 एवं 2 पर 10 किलोवॉट के नए कंनेक्शन हेतु विनियम 2022 की कंडिका 4.2.9 के अनुसार रू 1,200/– लेकर शेष राशि रू 10,880/– एवं भार वृद्धि 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट करने हेतु जो सप्लाई अफोर्डिग चार्ज रू 37900/– जमा किया गया है, के लिए विनियम 4.2.9 के अनुसार रू 3,800/– लेकर, शेष राशि रू 34,100/– लौटाने की मांग की गई है इसी प्रकार शॉप नं – 3 व 4 पर 10 किलोवॉट नये कंनेक्शन का आवदेन 21.07.2022 के आधार पर सप्लाई अफोर्डिग चार्जेस विनिमय कंडिका 4.2.9 के अनुसार रूपये 1,200/– लेकर शेष राशि 10,880/– लौटाने की मांग की गई है तथा भार वृद्धि 10 कि.वॉट से 25 कि.वॉट करने हेतु जमा की सप्लाई अफोर्डिग

चार्जेस की राशि रू. 56,850 के स्थान पर विनिमय कंडिका 4.2.9 के अनुसार रूपये 5,700/– लेकर शेष राशि 51,150/–की वापसी की मांग की गई है।

7. यह कि, माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक – WO559123 एवं WO55822 के तारतम्य में दिनांक – 11.12.2023 को निर्णय पारित किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट लेने के कारण सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस 1280/– तथा 10 से 25 किलोवॉट भार वृद्धि करने पर मल्टी में स्थापित 100 केव्हीए उपकेन्द्र का भार अतिभारित होने के कारण फोरम के आदेश क्रमांक – 543823 दि. 09.02.2023 के आधार पर विपक्ष द्वारा 100 केव्हीए उपकेन्द्र की भार वृद्धि कार्य करने पर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस विधिव प्रावधान के अनुसार लिया गया हैं, जो कि उचित है।

8. यह कि, माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा भी उपरोक्तानुसार विद्युत वितरण कंपनी के तर्को को मानकर उपभोक्ता से वसुले गये सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज को नियमानुसार सही पाया गया है तथा इस बाबद् दिनांक 11.12.2023 को आदेश भी पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि माननीय फोरम के इस आदेश को यथावत रखा जावे।

(ब) आवेदक द्वारा उनके प्रतिउत्तर दिनाँक 23.03.2024 में दोनों प्रकरणों पर निम्न कथन कियेः–

1. हम गैर घरेलू बहु–उपभेक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स/शापिंग मॉल) उपभोक्ता हैं । मालवा मिल झौन, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लिमि., इन्दौर द्वारा हमारे इस भवन के प्रत्येक उपभोक्ता से नवीन कनेक्शन देने हेतु "मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022 "की कण्डिका 4.2.6 अनुसार ही सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस प्रभारित करके वसूल किये जा रहें हैं ।

*2. हम **विद्युतीकृत गैर– घरेलू बहु–उपभोक्ता संकुल उपभोक्ता /रहवासी** होकर हमारे 10 कि.वा. के नवीन गैर घरेलू कनेक्शन हेतु सप्लाय अफार्डिंग की राशि रू. 12,080 की मांग की गई। जबकि विनियम 2022 के लागू विनियम 4.2.9 अनुसार 10 कि.वा. के गैर घरेलू कनेक्शन हेतु मात्र रू. 150 + (7 कि.वा. X 150 = 1050) = रूप्ये 1,200 की ही वसूली का प्रावधान दर्ज हैं।*

कृप्या यहाँ पर "मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022" मुझ गैर घरेलू बहु–उपभेक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स/शापिंग मॉल) उपभोक्ता से 4.2.9 अनुसार ही सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस के विपरीत कण्डिका 4.2.6 अनुसार चार्जेस प्रभारित करने के विनियम/नियम क्रमांक की जानकारी देकर स्पीकिंग आर्डर जारी कर विवरण प्रदाय कराने का निवेदन हैं ।

3. दिनांक 20.03.24 की सुनवायी में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक 1255 दिनांक 19.03.24 के पेज – 2 के द्वितीय पैरा में अंकित कथन "अतः शाप नं. –3 एंव 4 एंव शाप नं. 1 और 2 हेतु पूर्व में स्वीकृत भार 4 कि.वा. के स्थान पर 10 कि.वा. की मांग का सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस रूपये 12,080/– नोटिफिकेशन दिनांक 31.05.2022 की कण्डिका 4.2.6 अनुसार लिए गये हैं जो इस प्रकार हैं ।..... माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम दिनांक 31.05.2022 में उक्त लिखी बातों के समर्थन में कहीं कोई प्रावधान अंकित हो तो जानकारी प्रदान कर अनुग्रहित करने का निवेदन हैं। वस्तुतः गैर घरेलू बहु – उपभोक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स/ शापिंग मॉल) उपभोक्ता से 4.2.9 अनुसार चार्जेस प्रभारित करने के स्पष्ट प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा हैं, एंव अपने गलत कार्यवाही को अनुचित तर्क देकर सही ठहराने की कोशिश की जा रही हैं। आपका विशेष ध्यान सादर अपेक्षित हैं।

4. हमारे इसी ***विद्युतीकत बहु–उपभोक्ता गैर घरेलू संकुल*** *के 10 कि.वा. पर भारवृद्धि करके 20 कि. वा. हेतु सप्लाय अफार्डिंग की राशि 37,900 की मांग की गई,* ***जबकि विनियम 2022 के विनियम 4. 2.9 हम पर लागू*** *होकर मात्र रू. 1200 + (10 कि.वा. X 380 = 3800) = रू. 5,000 की ही वसूली का प्रावधान हैं। हमारे पत्र दिनांक 04.07.23, 11.07.23 एंव 24.07.23 से लगातार आपत्ती को सहायक यंत्री मालवा मिल के पत्र क्रमांक 67 दिनांक 14.07.23 से अमान्य कर दिया ।*

5. प्रकरण में ***विद्युतीकत बहु–उपभोक्ता गैर घरेलू संकुल से 4.2.9 अनुसार ही सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस प्रभारित करने के स्पष्ट प्रावधान हैं। किन्ही अन्य परिस्थिती में विनियमों में दर्ज प्रावधान के विपरीत सप्लाय अफसेर्डिंग चार्जेस प्रभारित करने हेतु*** *"मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022" की* ***कण्डिका 6.5*** *अनुसार माननीय आयोग अनुमति अनिवार्य होने बावत् विशेष ध्यान देने का सादर निवेदन हैं ।*

विनियम 6.5 : ***एकः ..... । किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त प्रभारों में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन किये जाने की अनुमति नहीं हैं। आयोग की अनुमति के बिना किसी भी आदेश को शून्य और अप्रवृत्त माना जाएगा ।***

6. उपभोक्ताओं की भारवृद्धि में होने वाले इन्फा खर्चे/ लागत वसूलने हेतु माननीय आयोग ने ***म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.2 निम्नानुसार प्रावधान सविनय सादर प्रेषित हैं:–***

कण्डिका 4.2 : अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः अपने वार्षिक राजस्वों अथवा उसके द्वारा व्यवस्था की गई निधी के माध्यम से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए प्रणीली के सशक्तिकरण/उन्नयन की लागत को वहन करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से विद्युत दर टैरिफ के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दुवार तथ्य ये हैं कि :–

(1) हमारे इस गैर घरेलू बहु–उपभेक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स / शापिंग मॉल) उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन हेतु सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस *"मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022" की कण्डिका 4.2.9 अनुसार ही प्रभारित किये जा रहें हैं या कण्डिका 4.2.6 अनुसार प्रभारित किये जा रहे हैं ।*

(2) हम इस गैर घरेलू बहु–उपभेक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स / शापिंग मॉल) उपभोक्ता हैं । अतः *"मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022" की किस कण्डिका के पालनार्थ हमसे 4.2.9 अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस प्रभारित नहीं करके 4.2.6 अनुसार चार्जेस प्रभारित किये गये हैं । हम पर जिस भी आधार से 4.2.6 अनुसार चार्जेस प्रभारित किये गये हैं उसका "मिसलेनियस चार्जेस विनियम 2022" की किस कण्डिका में क्या प्रावधान दर्ज हैं, यदि प्रावधान दर्ज हैं तो विनियम क्रमांक की जानकारी सहित स्पीकिंग आर्डर जारी कर विवरण प्रदान कर मदद करने का सादर निवेदन है ।।*

06. आवेदक के अभ्यावेदनों में प्रस्तुत विषय वस्तु एवं प्रकरणों में सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के कथनानुसार प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–

i. आवेदक श्री निकेत मंगल द्वारा 8/5, व्हाय.एन.रोड़, इन्दौर पर एक **"बहु मंजिला भवन"** का निर्माण किया गया तथा इस भवन के बाह्य विद्युतीकरण हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रवधानों के अनुसार भवन का कुल भार 71 किलोवॉट होने पर मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कंडिका 4.30, 4.31 एवं 4.32 में प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा एक 100 के.व्ही.ए

वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना पर्यवेक्षक (सुपरविजन) योजना में अनावेदक के कार्यादेश क्रमांक–1280 दिनाँक. 12.10.2021 के अनुसार की गई एवं उक्त 100 के.व्ही.ए ट्रांसफॉर्मर दिनाँक 17.12.2021 को चार्ज किया गया।

ii. उपरोक्त 'बहु मंजिला भवन' के शॉप नं 1,2,3 एवं 4 हेतु "मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021" में प्रावधान अनुसार भार की गणना कर प्रत्येक शॉप के लिए 2–2 किलावॉट भार निर्धारित कर स्वीकृत किया गया। उपभोक्ता द्वारा शॉप नं 1–2 के लिए स्वीकृत कुल 4 किलोवॉट भार के स्थान पर 10 किलावॉट का एक गैर घरेलु विद्युत संयोजन लिया गया इसी प्रकार शॉप नं. 3–4 के लिए भी कुल स्वकृीत 4 किलोवॉट के स्थान पर 10 किलावॉट का गैर घरेलु संयोजन लिया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

शॉप क्रमांक	**मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में प्रावधान अनुसार न्यूनतम स्वीकृत भार(कि.वॉ. में)**	**उपभोक्ता द्वारा लिया गया वास्तविक भार (कि. वॉ. में)**
1	2 कि.वॉ.	10 कि.वॉ.
2	2 कि.वॉ.	
3	2 कि.वॉ.	10 कि.वॉ.
4	2 कि.वॉ.	

iii. उक्त बहुमंजिला भवन में आवेदक की शॉप क्रं. 1–2 एवं 3–4 हेतु पूर्व स्वीकृत भार 4–4 किलावॉट के स्थान पर 10–10 किलोवॉट की भार वृद्धि हेतु अनावेदक द्वारा "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार" (सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज) रू.12,080/–**"मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022"** दिनाँक–31.05.2022 की कंडिका 4.2.6 के अनुसार लिए गए।

iv. तत्पश्चात् आवेदक द्वारा शॉप क्रमांक 1–2 के लिए 10 से 20 किलावॉट तथा शॉप क्रमांक 3–4 के लिए 10 से 25 किलोवॉट भार वृद्धि हेतु आवेदन दिया । आवेदक द्वारा एक संयोजन पर 10 किलोवॉट से भार 20 किलोवॉट भार वृद्धि करने हेतु तथा दूसरे संयोजन का भार 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट करने की माँग के कारण 25 किलोवॉट अतिरिक्त लोड हुआ। अतः स्थापित 100 के.व्ही.ए क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर पर अन्य भारों एवं आवेदक द्वारा चाही गई भार वृद्धि को समाहित करते हुए अनावेदक अनुसार उक्त वितरण ट्रांसफार्मर पर कुल भार 108 किलोवॉट हो जाना पाया । अतः अनावेदक द्वारा बहु उपभोक्ता परिसर के नियमों के अतंर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर की 100 से 200 के.व्ही.ए क्षमता वृद्धि करवाने हेतु आवेदक के व्यय के आधार पर सुपरविजन चार्जेस का प्राक्कलन बनाकर आवेदक की सहमति हेतु उसको को भेजा गया। परन्तु आवेदक/उपभोक्ता द्वारा उपर्युक्त विनियम की कण्डिका 4.2.4 (i) के अनुसार प्रस्तावित उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य स्वयं के व्यय पर असहमति देते हुए अनावेदक को करने हेतु कहा गया

एवं इस विवाद को लेकर आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर परिवाद दायर किया गया। फोरम द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक W0543823 में आदेश दिनाँक 09.02.2023 को पारित किया गया।

07. उक्त आदेश में फोरम का निर्णय निम्नानुसार थाः–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01) परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02) अभिमत में किए गए उल्लेखानुसार परिवादी का गैर–घरेलु कनेक्शन क्रमांक एन 3968041625 स्वीकृत भार 10 किलोवॉट का शॉप नम्बर (3 एवं 4) का भार वृद्धि 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट का ऑनलाईन आवेदन रजिस्ट्रेशन राशि रू. 2500/– दिनाँक 23.11.2022 को जमा करने पर आवेदन झोन कार्यालय में दिया, जिस पर झोन कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही प्रतीत नहीं हो रही है। इसके उपरान्त परिवादी द्वारा शॉप नम्बर (1 एवं 2) का कनेक्शन क्रमांक एन. 3968041633 का भार वृद्धि 10 किलोवॉट का आवेदन दिनाँक 05.12.2022 को झोन कार्यालय को दिया। उक्त दोनों आवदेन पर विपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर दिनाँक 17.01.2023 को पत्र क्रमांक 1353 से परिवादी का विद्यमान 100 के.वी.ए ट्रांसफार्मर पर 1 वर्ष पूर्व से 71 किलोवॉट का भार स्थापित था, जिस पर भार वृद्धि चाही गई है। इस प्रकार आपके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक की माँग की है। अतः बहुउपभोक्ता परिसर के नियमों के अनुसार आपको स्वयं के व्यय पर 100 से 200 के.वी.ए का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि करवाने की सहमति प्रदान करें जिससे कि 5 प्रतिशत सुपरविजन के तहत प्राक्कलन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सकें, का उल्लेख करते हुए सूचना पत्र दिया है। परन्तु विपक्ष द्वारा प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार कोई डिमाण्ड नोट परिवादी को नहीं दिया गया है। विपक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त ट्रांसफार्मर पर 09 कनेक्शन जिन पर कुल भार 11 KW है। इनमें से 02 कनेक्शन 10 KW प्रत्यके परिवादी के नाम से है।

विपक्ष ने मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 7.4 के अनुसार परिवादी से भार वृद्धि हेतु विद्युत लाईन प्रभार तथा राजपत्र 4.2.4 के अनुसार लाईन विस्तार एवं अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत उपभोक्ता से माँग की गई है परन्तु विपक्ष द्वारा विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 7.3, 7.4 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण द्वितीय), 2022 की कण्डिका 4.2.4 (i) के अनुसार अनुज्ञप्तिधरी को वितरण ट्रांसफार्मर एवं एच.टी. लाईन 0.5 किलो मीटर तक का कार्य स्वयं किया जाना है एवं विधिक प्रावधान 4.2.3 के अनुसार एल.टी. लाईन का कार्य उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाना है।

अतः परिवादी के भार वृद्धि का आवेदन दिनाँक 23.11.2022 तथा दूसरे भार वृद्धि के आवेदक दिनाँक 05.12.2022 का विधिक प्रावधान में उल्लेखित कण्डिका 4.2.3, 4.2.4 (i) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ट्रांसफार्मर का कार्य किया जाकर, परिवादी से अन्य चार्जेस नियमानुसार जमा कराया जावें।

03) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर किया जावे।"

08. फोरम के उक्त आदेश के परिपालन में अनावेदक द्वारा "**सामान्य विकास योजना"** के अन्तर्गत अनावेदक के व्यय पर तत्समय स्थापित 100 के.व्ही.ए विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 200 के.व्ही.ए. करने का कार्य किया गया तथा आवेदक/उपभोक्ता द्वारा उल्लेखित कण्डिका 4.2.3, 4.2.4(i) जोकि वैयक्तिक गैर–घरेलू उपभोक्ताओं हेतु है एवं जिन कण्डिकाओं में प्रावधानों के आधार पर आवेदक के तर्क को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक W0543823 में फोरम द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया, की वैयक्तिक गैर घरेलू उपभोक्ता को कण्डिका 4.2.6 के अनुसार अनावेदक द्वारा सप्लाई अफोर्डिग चार्ज भुगतान करने हेतु आवेदक को निम्नानुसार डिमांड नोट जारी किया गयाः–

शॉप क्रमांक	अतिरिक्त भार का विवरण	निर्धारित सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की राशि	निर्धारित रजिस्ट्रेशन चार्ज की राशि
शॉप न ं – 1 एवं 2	10 से 20 किलोवॉट	37,900/–	2,500/–
शॉप नं – 3 एवं 4	10 से 25 किलोवॉट	56,850/–	2,500/–

09. अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपरोक्तानुसार डिमांड नोट जारी करने से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा उपभोक्ता फोरम में दोनों संयोजनों के लिए अलग–अलग प्रकरण दर्ज कराये गये जो कि क्रमांक – W0559123 एवं W0558223 पर दर्ज किए गए । इन प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा फोरम से यह राहत की माँग की गई की उनके उपरोक्त दोनों विद्युत संयोजनों की 10 कि.वा विद्युत संयोजन एवं उस पर आवेदित भार वृद्धि करने के लिए अनावेदक द्वारा आवेदक से विनियम की कण्डिका 4.2.6 के अनुसार जमा किए गये ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (supply affording charges) के स्थान पर विनियम की कण्डिका 4.2.9 के अनुसार (supply affording charges) ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार जमा कराये जाये एवं उसके द्वारा कण्डिका 4.2.6 के अनुसार जमा किये गये (supply affording charges) ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार'' की अन्तर राशि उसको लोटा दी जावे । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा उसे 10 कि.वा गैर घरेलू संयोजन कि 20 कि.वा

भार वृद्धि हेतु दो बार पंजीयन शुल्क रू. 2500/– जमा कराने की शिकायत करते हुए अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया।

10. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों क्रमांक W0559123 एवं W0558223 में अलग–अलग आदेश दिनाँक 11.12.2023 को निम्नानुसार पारित किया गया।

(अ) प्रकरण क्रमांक W0559123 में पारित निर्णयः–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :–

01/ परिवादी का परिवादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

02/ अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, परिवादी द्वारा दिनाँक 18.11.2022 को शॉप क्रमांक 3 एवं 4 का नवीन कनेक्शन आवेदन प्रस्तुत कर 10 किलोवॉट भार की माँग की है। जबकि बहुमंजिला मल्टी इस्टीमेट अनुसार प्रत्येक फलेट का भार 2 किलोवॉट के आधार पर शॉप नं 3 एवं 4 का 04 किलोवॉट तक का लेने पर विधिक प्रावधान 4.2.9 के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज लेना है। परंतु परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट भार की माँग करने के कारण विधिक प्रावधान 4.2.6 के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज लेना है, ***अतः परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट लेने के कारण सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू.12080/– तथा 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट भार वृद्धि करवाने पर मल्टी में स्थापित 100 के.व्ही.ए का ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण फोरम के आदेश क्रमांक 543823 दिनाँक 09.02.2023 के आधार पर विपक्ष द्वारा 100 के.व्ही.ए ट्रांसफार्मर की भार वृद्धि कार्य करने पर सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू. 56850/– विधिक प्रावधान 4. 2.6 के अनुसार लिया जाना है, को फोरम ने उचित माना है।***

परिवादी के द्वारा कनेक्शन के भार वृद्धि (10 से 20 किलो) हेतु रजिस्ट्रेशन दिनाँक 06.12.2022 को रू.2500/– जमा करवाना पाया गया है अतः परिवादी से रजिस्ट्रेशन शुल्क रू.2500/– जमा करवायें गये हैं, को नियमानुसार आगामी माहों के देयकों में समायोजित किया जावे।

03/ म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकर हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्ययाय 3 की कंण्डिका 3.29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेष का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।"

(ब) प्रकरण क्रमांक W0558223 में पारित निर्णयः–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01/ परिवादी का परिवादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

02/ अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, परिवादी द्वारा दिनाँक 18.11.2022 को शॉप क्रमांक 3 एवं 4 का नवीन कनेक्शन आवेदन प्रस्तुत कर 10 किलोवॉट भार की माँग की है। जबकि बहुमंजिला मल्टी इस्टीमेट अनुसार प्रत्येक फलेट का भार 2 किलोवॉट के आधार पर शॉप नं 3 एवं 4 का 04 किलोवॉट तक का लेने पर विधिक प्रावधान 4.2.9 के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज लेना है। परंतु परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट भार की माँग करने के कारण विधिक प्रावधान 4.2.6 के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज लेना है, ***अतः परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट लेने के कारण सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू.12080/– तथा 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट भार वृद्धि करवाने पर मल्टी में स्थापित 100 के.व्ही.ए का ट्रांसफार्मर अतिभारित होने***

के कारण फोरम के आदेश क्रमांक 543823 दिनाँक 09.02.2023 के आधार पर विपक्ष द्वारा 100 के. व्ही.ए ट्रांसफार्मर की भार वृद्धि कार्य करने पर सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू. 56850/– विधिक प्रावधान 4.2.6 के अनुसार लिया जाना है, को फोरम ने उचित माना है।

परिवादी के द्वारा कनेक्शन के भार वृद्धि (10 से 20 किलो) हेतु रजिस्ट्रेशन दिनाँक 23.11.2022 को रू.2500/– जमा करवाना पाया गया है एवं भार वृद्धि डिमांड नोट दिनाँक 30.06.2023 में आवेदक शुल्क रू.2500/– पुनः जोड़ा जाना पाया गया है। अतः परिवादी से रजिस्ट्रेशन शुल्क रू.2,500/– +रू.2,500/– अर्थात कुल रू.5,000/– जमा करवायें गये हैं, को नियमानुसार आगामी माहों में समायोजित किया जावे।

03/ म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकर हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्ययाय 3 की कंण्डिका 3.29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।"

11. प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्षों (आवेदक/अनावेदक) के कथनों को सुनने के पश्चात् प्रकरणों में पृष्ठभूमि एवं विषय वस्तु निम्नानुसार पाए गए :–

1) आवेदक श्री निकेत मंगल का बहु–मंजिला भवन जो कि 8/5, वाय.एन.रोड., एन.एम.वर्ज बिल्डिंग, इन्दौर में स्थित है, का बाह्य विद्युतीकरण हेतु अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के प्रावधान अनुसार उपरोक्त भवन का कुल भार 71 किलोवॉट निकला, जिसकी विद्युत आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.31 के अनुसार आवेदक द्वारा एक 100 के.वी.ए. का वितरण ट्रांसफार्मर पर्यवेक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया । उक्त वितरण ट्रांसफार्मर को अनावेदक द्वारा 17 दिसम्बर 2021 को चार्ज किया गया । अतः दोनों प्रकरणों में विषय–वस्तु के परीक्षण ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 दिनांक 31 मई, 2022 एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा ।

2) आवेदक की उपरोक्त बहु–मंजिला भवन में दुकान क्रमांक 1 व 2 (यस बैंक) तथा दुकान क्रमांक 3 व 4 (क्रोमा) के विद्युत भार का आंकलन उक्त बहु–मंजिला भवन के बाह्य विद्युतीकरण के दौरान 4 – 4 किलोवॉट किया गया था । विद्युतीकरण के पश्चात् आवेदक द्वारा दोनों दुकान क्रमांक 1–2 एवं 3–4 में 4–4 किलोवॉट के स्थाान पर 10–10 किलोवॉट की भार वृद्धि आवेदन देकर करवाई गई ।

3) आवेदक के बहु–मंजिला भवन के बाह्य विद्युतीकरण एवं आवेदक द्वारा दोनों प्रकरणों में दुकानों के विद्युत भार को 4 किलोवॉट से 10 किलोवॉट करवाने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 दिनांक 31 मई, 2022 के विनियम 4.2.6 में विनिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय उपलब्ध

प्रभारों की तालिका अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक से जमा कराई गई । उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आवेदक द्वारा विधिक प्रावधानों का संदर्भ देते हुए उक्त राशि ''अण्डर प्रोटेस्ट'' जमा की गई ।

4) उपरोक्त कार्य होने के पश्चात् आवेदक द्वारा अपने उक्त बहु–मंजिला भवन में स्थित दुकान क्रमांक 1–2 (यस बैंक) के विद्युत भार 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट वृद्धि एवं दुकान क्रमांक 3–4 (क्रोमा) में विद्युत भार में 10 से 25 किलोवॉट की वृद्धि हेतु आवेदन दिया ।

5) उक्त आवेदनों पर अनावेदक द्वारा यह पाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई भार वृद्धि एवं बहु–मंजिला भवन में तत्कालीन विद्युत भार के योग करने पर कुल भार 108 किलोवॉट हो जाने के कारण 100 के.वी.ए. विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाकर 200 के.वी.ए. करने की आवश्यकता होगी । अतः अनावेदक द्वारा विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 100 से 200 के.वी.ए. आवेदक के व्यय पर करवाने हेतु पर्यवेक्षण योजना के अन्तर्गत आवेदक की सहमति पश्चात् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया । परन्तु आवेदक द्वारा उपर्युक्त वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु उपरोक्त विनियम ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 दिनांक 31 मई, 2022 की कण्डिका 4.2.3 एवं 4.2.4(i) के प्रावधानों को उल्लेखित करते हुए उक्त कार्य को स्वयं के व्यय पर कराने हेतु असहमति दी गई एवं आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष उसकी दोनों दुकानें (यश बैंक एवं क्रोमा) से संबंधित उक्त विवाद के निराकरण हेतु परिवाद प्रस्तुत किया जिसे कि फोरम द्वारा दर्ज कर आदेश दिनांक 09.02.2023 द्वारा यह निर्णित किया कि **आवेदक की दुकान क्रमांक 1–2 (यस बैंक) तथा दुकान क्रमांक 3 – 4 (क्रोमा) में भार वृद्धि के आवेदन पर विनियम ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 की कण्डिका 4.2.3 एवं 4.2.4(i) के अनुसार ट्रांसफार्मर का कार्य अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी करवाएं तथा आवेदक से अन्य चार्जेंज नियमानुसार जमा करवाया जाएं ।**

6) फोरम द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में अनावेदक द्वारा सामान्य विकास योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनी के व्यय पर 100 किलोवॉट ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 200 के.वी.ए. किए जाने का कार्य पूर्ण किया गया एवं उपर्युक्त विनियम की कण्डिका 4.2.6 के प्रावधान अनुसार आवेदक को सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेंज जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया गया । उक्त डिमाण्ड नोट के अनुसार दुकान क्रमांक 1–2 में अतिरिक्त भार वृद्धि 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट हेतु रू0 37,900/– सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेंज एवं रू0 2500/– निर्धारित रजिस्ट्रेशन चार्ज की राशि जमा कराई गई । इसी प्रकार दुकान क्रमांक 3–4 में विद्युत भार वृद्धि 10 से 25

किलोवॉट के लिए रू0 56850/– सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज एवं रू0 2500/– रजिस्ट्रेशन चार्ज की राशि जमा कराई गई । उपलब्ध दस्तावेजों एवं आवेदक के कथन अनुसार उपर्युक्त राशि आवेदक द्वारा ''अण्डर प्रोटेस्ट'' जमा कराई गई ।

7) आवेदक द्वारा उपर्युक्त डिमाण्ड नोट के विरूद्ध फोरम में 2 अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनको फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0559123 एवं डब्ल्यू 0558223 पर दर्ज कर सुनवाई की गई एवं फोरम द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में दिनांक 11.12.2023 को निर्णय पारित करते हुए अनावेदक द्वारा सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेंज की राशि विनियम की कण्डिका 4.2.6 के प्रावधान अनुसार आवेदक से जमा कराया जाना उचित माना एवं रजिस्ट्रेशन राशि 2500/– जो कि दिनांक 06.12.2022 को आवेदक से अनुचित जमा कराई गई थी, को नियमानुसार आगामी माहों के देयकों में समायोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया ।

विधिक प्रावधान :

8) फोरम के उक्त निर्णयों से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा दो अलग–अलग प्रकरण विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए । दोनों प्रकरणों एल00–07/2024 एवं एल00–08/2024 के व्यापक अवलोकन एवं परीक्षण हेतु ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021'' एवं ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' के प्रावधान जो इन प्रकरणों में उभयपक्षों द्वारा संदर्भित किए गए है एवं जो निम्नानुसार उद्धत हैं, का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना न्यायसंगत होगा :–

(अ) मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.2, 4.3, 4.30, 4.31 एवं 4.35 में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

अनुज्ञप्तिधारी का वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में अंशदानः–

4.2 *अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः अपने वार्षिक राजस्वों अथवा उसके द्वारा व्यवस्था की गई निधि के माध्यम से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन की लागत को वहन करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से की जाएगी।*

4.3 *नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन) के विस्तार और/या तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्ता द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेंज) आदि के यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम में किये गये उपलब्धों के अनुसार किया जाएगा।*

4.30 *नवीन विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह, जिसमें एक से अधिक संयोजन (कनेक्शन) हों एंव कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को बहु–उपभोक्ता संकुल माना जायेगा।*

4.31 *किसी बहु–उपभोक्ता संकुल को विद्युत प्रदाय हेतु, वांछित विस्तार कार्य की लागत का यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्या प्रभारों की वसूली) विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार विकासक (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर)/समिति (सोसायटी)/उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।*

4.35 *अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) के विस्तार हेतु, बहु–उपभोक्ता संकुल(कॉम्पलेक्स) के भार की गणना निम्न आधार पर की जाएगी {क्षेत्रफल वैयक्तिक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल (बिल्डअप एरिया) दर्शाता है}:–*

क्षेत्रफल	*भार*
(क) 500 वर्ग फीट तक	*2 किलोवॉट*
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग से अधिक उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए आधा (0.5) किलोवॉट भार जोड़ा जाएगा।	

उत्थान (लिफ्ट), जल उद्वाहक (वाटर पम्प), पार्किंग प्रकाश व्यवस्था, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के अनुसार लिया जायेगा। तत्पश्चात्, यदि भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनआंकलन उपरोक्त उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय–समय पर पुनर्आंकलित भार पर आधारित पूर्व में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

बहु–उपभोक्ता संकुलों के भार निर्धारण के बारे में भार आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों की समय–समय पर वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास/ पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित बहु–उपभोक्ता संकुलों को उपरोक्त प्रावधानों में भार सम्बन्धी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे बहु–उपभोक्ता संकुलों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

(ब) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 की कण्डिका 2.1(थ) 2.1(य) एवं 4.2 में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

कण्डिका 2.1 (थ)

"बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स)" से अभिप्रेत है एक भवन अथवा भवनों का समूह जो एक से अधिक संयोजनों से युक्त है तथा जहां कुल प्राक्कलित संयोजित भार 50 किलोवाट या इससे अधिक है;

कण्डिका 2.1 (य)

"विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस)" से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्यमान उपभोक्ता के भार में वृद्धि हेतु नवीन उपभोक्ता आवेदक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपभोक्ताओं/आवेदकों द्वारा देय विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, वितरण प्रणाली, तथा पारेषण प्रणाली को विकसित करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करेन हेतु लागत;

4.2 *अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतुः–*

क. गैर–घरेलू (शापिंग मॉल / संकुल (कॉम्पलेक्स) को सम्मिलित करते हुए), विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन), औद्योगिक दूरसंचार (टेलीकॉम) टॉवर तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं किये गये हैं:–

4.2.1 *किसी गैर–घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु प्राक्कलित संयोजित भार वह लिया जाएगा जैसाकि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा घोषित किया गया हो। तथापि, किसी बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) में गैर–घरेलू उपभोक्ता (ओं) को शांपिंग मॉल सम्मिलित कर विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट /संकुल (कॉम्पलेक्स) के भवन नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भूखण्ड (प्लॉट) अथवा अपार्टमेंट के आकार के आधार पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान के अनुसार करेगा ।*

4.2.2 *उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित संयोजित भार या ऐसे संकुल (कॉम्पलेक्सों) में आवेदक (ों) द्वारा घोषित भार का योग, इनमें से जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट/ संकुल (कॉम्पलेक्स) को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा।*

4.2.3 *किसी वैयक्तिक गैर–घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या दूरसंचार (टेलीफोन) टॉवर या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्न दाब तन्तुपथ (लाइनों) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा।*

4.2.4 *(i) 50 किलोवाट तक के अनुप्रयुक्त (applied) संयोजित भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किलो मीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ विस्तार (लाइन एक्सटेंशन) हेतु, यदि आवश्यकं हो तो इसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा। :–*

परन्तु यह कि आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) बिन्दु से 0.5 किलो मीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार लागत विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों (चार्जिंग स्टेशनों) को छोड़कर, आवेदक द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, जहां वैयक्तिक आवेदक (गण) जो 5 किलोवाट से अधिक का भार धारित करते हों, विद्युत आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु/निकासी बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार के इच्छुक हों, वहां

वितरण ट्रांसफॉर्मर की लागत को, केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदकों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) 50 किलोवाट से अधिक अनुप्रयुक्त (applied) भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदक (ों) द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि 0.5 किलोमीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ (लाइन) विस्तार कार्य का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु अथवा निकासी बिन्दु से 0.5 किमी से अधिक उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तार कार्य की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जाएगाः

परन्तु यह और कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान संयोजित भार में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक (ों) द्वारा वहन की जाएगी।

उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुसार प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करें।

4.2.5 उपभोक्ता/आवेदक को सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) प्रदाय हेतु किये गये व्यय स्वयं वहन करने होंगे। उपभोक्ताओं/आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा स्थापित किये जाने का विकल्प होगा। वैकल्पिक तौर पर कार्य का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता/आवेदक को प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.6 *वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है से विनियम 4.2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगाः*

सरल क्रमांक	माँग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर
एक	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 500 प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
दो	3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु10 किलोवॉट से अनाधिक	रू.1510 + रू.1510 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवॉट से अधिक हो
तीन	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू.12110 + रू. 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवॉट से अधिक हो

चार	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 100 किलोवॉट से अनाधिक	रू.69000 + रू. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवॉट से अधिक हो
पाँच	100 किलोवॉट से अधिक	रू. 6900 + रू.630 प्रति अतिरिक्त किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 100 किलोवॉट से अधिक हो (अधोसंरचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी)

4.2.7 *गैर–घरेलू बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स)/शॉपिंग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु, आवेदक (रों) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(ों) तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथं तथा उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथों (लाइनों)/केबलों की लागत वहन करनी होगी।*

4.2.8 *उपभोक्ता/आवेदक को या तो अपने स्वयं की वांछित अधोसंरचना उसके स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार एक अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 7 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा निर्माण करने या फिर अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान उपरान्त कार्य निष्पादन का विकल्प होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी*

परन्तु यह कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों के प्रकरण में यदि उपभोक्ता/आवेदक वांछित अधोसंरचना स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों के अनुसार सृजन करने का निर्णय लेता है तो उपभोक्ता/आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा।

4.2.9 *वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर–घरेलू (बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) शॉपिंग मॉल) उपभोक्ताओं से उपरोक्त विनियम 4.2.7 तथा 4.2.8 में उल्लेखित प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अकोर्डिंग चार्जेस) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु भी प्राधिकृत होगा।*

सरल क्रमांक	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर
एक	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू.50 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो	3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू.150 + रू.150 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
तीन	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू.1200 + रू.380 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
चार	25 किलोवॉट से अधिक	रू.6900 प्रति किलोवाट + रू.630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवॉट से अधिक हो

12. उपरोक्त विनियम के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से निम्न बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

(1) आवेदक श्री निकेत मंगल का वह परिसर जिनमें उनकी दुकान क्रमांक 1–2 तथा 3–4 स्थित है बहु–उपभोक्ता संकुल (multyuser complex) की श्रेणी में ही आता है । इन प्रकरणों में सुनवाई के दौरान अथवा उभयपक्षों द्वारा लिखित अभ्यावेदन/दस्तावेजों में भी यह तथ्य अविवादित रहा है ।

(2) विनियम ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' में परिभाषित ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज)'' के अनुसार उक्त प्रभार की मांग उपभोक्ताओं/आवेदकों द्वारा मांगे गए विद्युत भार या वर्तमान विद्युत भार में चाही गई वृद्धि की पूर्ति के लिए उपयुक्त वितरण तथा पारेषण प्रणाली को विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकसित करने या सुधार करने में लगने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु की जाती है।

(3) आवेदक द्वारा अपने कथनों में विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.2 का संदर्भ देते हुए यह कथन किया गया कि वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए विद्युत प्रणाली या उसके सशक्तिकरण हेतु लागत की वसूली समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत दर (टैरिफ) के माध्यम से की जाती है तो ''सिस्टम अफोर्डिंग चार्जेज'' की मांग अलग से करना औचित्यहीन है । आवेदक के इस कथन पर उनका ध्यान विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की अगली कण्डिका 4.3 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों'' (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) आदि के यथा प्रयोज्य विनियम ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' में किए गए उपबंधों के अनुसार किया जावेगा । अतः विषयांतर्गत प्रकरणों के तारतम्य में आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की केवल एक कण्डिका 4.2 को पढ़कर सिस्टम अफोर्डिंक चार्जेज के विरूद्ध तर्क देना औचित्यहीन है क्योंकि कण्डिका 4.2 के प्रावधान विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं की वर्ष प्रति वर्ष मांग में वृद्धि का आंकलन कर कम्पनी के कार्यक्षेत्र में वितरण एवं उप–पारेषण प्रणाली को तकनीकी मानकों के अनुसार पूर्ण कर प्रणाली को वहु–वर्षीय योजनाओं में उपयुक्त रखने हेतु प्रस्तावित स्थाई संपत्तियों पर होने वाले व्यय से संबंधित है न कि किसी वैयक्तिक उपभोक्ता/बहु–उपभोक्ता संकुल परिसर हेतु की गई विद्युत मांग की आपूर्ति विद्युत वितरण/पारेषण प्रणाली के विस्तार या सुदृढ़ीकरण के लिए ।

(4) विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.30 में भी बहु–उपभोक्ता संकुल को स्पष्ट किया गया है एवं कण्डिका 4.31 में प्रावधान अनुसार किसी बाह्य उपभोक्ता संकुल को विद्युत प्रदाय हेतु वांछित विस्तार कार्य की लागत का यथा प्रयोज्य विनियम ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' में विनिर्दिष्ट अनुसार विकासक/भवन निर्माता/समिति/उपभोक्ता से वसूल किया जावेगा । बाह्य उपभोक्ता संकुलों (multiuser complexes) में विद्युत भार की गणना, वैयक्तिक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत संहिता की कण्डिका 4.35 की तालिका अनुसार की जाती है । उक्त कण्डिका 4.35 में यह भी प्रदत्त है कि बाह्य उपभोक्ता संकुलों के भार निर्धारण हेतु उपरोक्त प्रक्रियां ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों'' अथवा अन्य ''प्रयोज्य प्रभारों'' की समय–समय पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वसूली में एकरूपता लाए जाने के उद्देश्य से हैं । अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार ही आवेदक के बहु–मंजिला भवन के विद्युतीकरण के समय विद्युत भार की गणना की गई एवं उक्त अनुसार ही आवेदक की दुकान क्रमांक 1–2 एवं 3–4 के विद्युत भार की प्रारंभिक गणना अनावेदक द्वारा 4–4 किलोवॉट की गई ।

(5) ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' की कण्डिका 2.1 (थ) से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक का परिसर एवं दोनों संयोजन बहु–उपभोक्ता संकुल (multiuser complex) की श्रेणी में आते हैं एवं विनियम की कण्डिका 2.1(य) अनुसार उपभोक्ता के भार में वृद्धि हेतु नियमानुसार ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार'' आवेदक द्वारा देय होगा ।

(6) ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' की कण्डिका 4.2.1 के प्रावधान अनुसार किसी बहु–उपभोक्ता संकुल में गैर घरेलु संयोजन प्रदाय करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021'' में प्रावधान अनुसार संयोजित भार की गणना करेगा । विनियम की कण्डिका 4.2.2 अनुसार आवेदक द्वारा मांगा गया विद्युत भार या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त अनुसार गणना किया गया विद्युत भार में से जो भी अधिक होगा, उसी विद्युत भार को मानकर विद्युत प्रदाय करने के लिए प्रभारों की वसूली की जावेगी ।

(7) विनियम की कण्डिका 4.2.3 से 4.2.6 के प्रावधान वैयक्तिक गैर घरेलु उपभोक्ताओं के लिए हैं । विनियम की कण्डिका 4.2.7 से 4.2.9 के प्रावधान बहु–उपभोक्ता संकुल के गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हैं । अतः विनियम की कण्डिका 4.2.7 के प्रावधान अनुसार बहु उपभोक्ता

संकुलों में गैर घरेलु उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु उच्चदाब लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं निम्न दाब लाईन/केबलों को डिस्ट्रीब्यूशन मेन तक बिछाए जाने की लागत का व्यय करना होगा । कण्डिका 4.2.8 के अनुसार आवेदक/उपभोक्ता उपर्युक्त कार्य किसी लाईसेंसी विद्युत ठेकेदार से भी करा सकता है । बहु–उपभोक्ता संकुल में गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार'' (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) विनियम की कण्डिका 4.2.9 में तालिका अनुसार लगेंगे।

13. वर्तमान दोनों प्रकरणों में फोरम के पूर्व आदेश दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में आवेदक के दोनों संयोजनों के विद्युत भार वृद्धि हेतु 100 के.वी.ए. विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता 200 के.वी.ए. करने का कार्य अनावेदक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम की कण्डिका 4.2.4(i) के अंतर्गत अपने व्यय पर किया गया । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा दोनों प्रकरणों W0559123 एवं W0558223 में दिनांक 11.12.2023 को पारित आदेशों में किए गए निर्णयों का आधार निम्नानुसार था :–

''अतः परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट से अधिक 10 किलोवॉट लेने के कारण सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू.12080/– तथा 10 किलोवॉट से 25 किलोवॉट भार वृद्धि करवाने पर मल्टी में स्थापित 100 के.व्ही.ए का ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण फोरम के आदेश क्रमांक 543823 दिनाँक 09.02.2023 के आधार पर विपक्ष द्वारा 100 के.व्ही.ए ट्रांसफार्मर की भार वृद्धि कार्य करने पर सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज रू. 56850/– विधिक प्रावधान 4.2.6 के अनुसार लिया जाना है, को फोरम ने उचित माना है।''

14. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भी अपने प्रत्युत्तर दिनांक 19.03.2024 के पैरा 6 में यह कथन किया है कि ''***विधिक प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को 2 संयोजनो हेतु कुल अतिरिक्त भार के लिए कंपनी द्वारा बहु उपभोक्ता परिसर के लिए निर्धारित धारा 4.2.7, 4.2.8 तथा 4.2.4 (ii) के अनुसार स्वंय के व्यय पर सुपरविजन योजना में वर्तमान में स्थापित 100 केव्हीए उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कर 200 केव्हीए उपकेन्द्र कर देते तो उन्हे धारा 4.2.9 के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज देना होता।*** ''

फोरम द्वारा उपर्युक्त निर्णय एवं अनावेदक के उपर्युक्त कथन अनुसार यह तथ्य पाया गया कि चूंकि अनावेदक द्वारा फोरम के निर्णय को मानते हुए उक्त परिसर में विद्युत प्रदाय हेतु स्थापित 100 के.वी.ए. विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता 200 के.वी.ए. का कार्य आवेदक के स्थान पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया गया इसलिए ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार'' (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) दोनों प्रकरणों में विनियम 4.2.9 के स्थान पर कण्डिका 4.2.6 के अनुसार आवेदक से जमा कराए गए । अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन प्रकरणों में विधिक प्रावधानों के विरूद्ध फोरम द्वारा पारित पूर्व आदेश को स्वीकार कर अनावेदक द्वारा ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य संपादित करने के कारण आवेदक से ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार'' (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज) विनियम में उपयुक्त कण्डिका 4.2.9 के स्थान पर कण्डिका 4.2.6 अनुसार प्रभारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि फोरम द्वारा पूर्व में पारित उक्त आदेश दिनांक 09.02.2023 के विषय–वस्तु इन दोनों प्रकरणों में विचाराधीन नहीं हैं, इसलिए उक्त निर्णय के गुण–दोष पर विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान दोनों प्रकरणों में विचार करना न्यायसंगत नहीं है ।

15. दोनों प्रकरणों में उपरोक्तानुसार परीक्षण एवं निष्कर्ष अनुसार आवेदक के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए फोरम के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0559123 एवं डब्ल्यू 0558223 में पारित दोनों आदेशों दिनांक 11.12.2023 में फोरम द्वारा ''रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन शुल्क'' पर दिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए उक्त दोनों आदेशों को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है ।

16. अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक से इन दोनों प्रकरणों में ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज)'' ''म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022'' की कण्डिका 4.2.9 के अनुसार ही जमा कराए । अनावेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा कण्डिका 4.2.6 अनुसार ''अण्डर प्रोटेस्ट'' जमा किए गए ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज)'' की राशि एवं 4.2.9 के अनुसार ''विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज)'' की अंतर राशि का भुगतान आवेदक को इस आदेश की प्राप्ति से विनियम की कण्डिका 4.28 अनुसार 45 दिवस के अंदर करना सुनिश्चित करें ।

17. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

18. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल